न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 171 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
भूराराम पुत्र भंवराराम उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर	1. पदमाराम पुत्र देदाराम का.मु. 1/1किशनलाल पुत्र पदमाराम 1/2जुंजाराम पुत्र पदमाराम 1/3चम्पादेवी पुत्री पदमाराम 1/4देवी पुत्री पदमाराम 1/5मंजू पुत्री पदमाराम 1/6मायादेवी पुत्री पदमाराम 1/7सुशीला पुत्री पदमाराम 1/8पपू पत्नी पदमाराम 2. भोपाराम पुत्र भंवराराम 3. गेमराराम पुत्र भंवराराम का.मु. 3/1अशोक पुत्र गेमराराम 3/2कमलादेवी पत्नी गेमराराम 3/3चम्पालाल पुत्र गेमराराम 3/4हंसाराम पुत्र गेमराराम 4. कमलाराम पुत्र भंवराराम 5. रायमलराम पुत्र भंवराराम 6. अणचीदेवी पत्नी भंवराराम 7. जगदीश पुत्र माणकाराम 8. रमेश पुत्र माणकाराम 9. जेरामाराम पुत्र माणकाराम 10. विजय पुत्र माणकाराम 11. अकलोदेवी पत्नी माणकाराम जाति माली निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़ला

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	13. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2022 बअनवान पदमाराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कुड़ला पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 392 रकबा 05.10 बीघा, खसरा संख्या 452 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 649/453 रकबा 86.17 बीघा, खसरा संख्या 697/421 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 698/417 रकबा 29.15 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 07 से 11 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का मौके पर कब्जा काश्त है तथा दोनों पक्षों के मध्य बाहामी रूप से बंटवारा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हुये नहीं होने के कारण विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवारे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है इस तथ्य को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से तलब करने का आदेश पारित करने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया उतरदाता संख्या 01 द्वारा वाद पेश करने के बाद अपीलांट द्वारा जबावदावा पेश कर वाद का पूर्णतया खण्डन किया गया तथा उतरदाता का वाद व अपीलांट का जबावदावा पूर्णतया विरोधाभासी है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्र व जबावदावा के कथनों के आधार पर विवाद्यक बिन्दू कायम किया जाना अति आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जबावदावा के बाद पत्रावली बिना तनकीयात किये ही वादीगण साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलांट रेकर्डेड खातेदार होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलांट को उक्त वाद में वादीगण के गवाह के जिरह करने व स्वयं के साक्ष्य सबूत पेश करने बाबत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आये तथा मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है जिस कारण अपीलांट को उक्त अपील पेश करने हेतु आवश्यकता पड़ी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में अरसा 10–15 दिन पूर्व हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के बारे में बताया तो अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी ली व आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 26.09.2024 को प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने मियाद अधिनियम के विंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौके पर उपस्थित रहने बाबत नोटिस दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं किया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की ही घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2022 बअनवान पदमाराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2023 को यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष को न्यायहित में विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2023 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मातहत अदालत में पेश करे तत्पश्चात मातहत अदालत नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर